कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष–वित्त/बजट), मध्यप्रदेश
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल– 462003
☎PHONE NO./FAX NO.-0755 2674286, E-mail- apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक/एफ–आर.ई.–बी.ई./2019/5715 भोपाल, दिनांक 29/11/19

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/अनुसंधान विस्तार)
समस्त क्षेत्र संचालक (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य)
मध्य प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2020–21 के अग्रिम बजट प्रस्ताव बाबत्।

–0–

वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं वर्ष 2020–21 का अग्रिम बजट प्रस्ताव तैयार (आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर से) किया जाकर शासन को प्रेषित किया जाना है। अतएव गत वर्ष की भांति आपके एवं आपके वन वृत्त के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले वन विभाग के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा योजना का बजट अनुमान तैयार कर मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त अनुमोदनार्थ बजट को आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना होगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/699/815/11–ब–1/चार भोपाल दिनांक 29.11.2019 वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड है, कृपया अवलोकन करें तथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार बजट बनाना सुनिश्चित करें।

2. प्रस्ताव आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में तैयार किये जाने है। <u>आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर हार्ड कापी में जानकारी प्रस्तुत करे अन्यथा एक्सलशीट में जानकारी तैयार कर प्रस्तुत की जावे।</u>

3. फिलहाल प्रतिवर्ष अनुसार बजट प्रस्तावों को पूर्व फॉरमेट में तैयार कर बजट एवं राजस्व बजट प्रस्ताव हार्ड कॉपी में भेजना सुनिश्चित करें। मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) अपने वृत्त के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ कार्यालयों तथा वन्य प्राणी/कार्य आयोजना/अनुसंधान विस्तार/वन विद्यालय आदि विभाग से संबंधित समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों की प्रति तत्काल उपलब्ध करावें, तत्पश्चात् समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपना बजट प्रस्ताव तैयार कर हार्डकापी एवं पेनड्राईव में सॉफ्टकॉपी के संलग्न समय सारणी के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण कार्यालय द्वारा प्रेषित की जावेगी।

4. कृपया बजट प्रस्तावों में आंकड़े पूर्ण रूपयों में दर्शाये, हजारों में नहीं। उदाहरण स्वरूप 1,20,000/– पूरा लिखे, ना कि 120 हजार या 1.20 लाख।

5. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के समीक्षा हेतु विशेष बिन्दु :–

प्रत्येक मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) का यह दायित्व रहेगा कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा की गई मांग भौतिक लक्ष्य एवं निर्धारित दरों के परिप्रेक्ष्य में सही–सही हो। कृपया निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावे :–

(क) वेतन मदों में की गई मांग तैयार करते समय अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या के साथ–साथ वर्ष के माह जून 2019 के मूल वेतन की राशि में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की अपेक्षित माह जुलाई में देय एक वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़कर राशि अग्रिम बजट प्रस्ताव में शामिल की जाये। वेतन भत्तो की मजदूरी में मात्र स्थाई कर्मियों का वेतन सम्मिलित किया जावें। कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, पार्ट टाईम स्वीपर आदि के पारिश्रमिक भुगतान हेतु जिस योजना अंतर्गत उनसे कार्य लिया जा रहा है। उसी योजना

के मजदूरी मद में आवश्यक राशि की मांग की जाये। वर्ष 2020–21 के अग्रिम बजट में वेतन भत्तों की मांग केवल कार्यरत् पदों हेतु की जाये। अधिकारियों के बच्चों के शिक्षण शुल्क के प्रतिपूर्ति की मांग 008–अन्य भत्ते में की जाये।

(ख) वाहन एवं दूरभाष के लिये मांग के प्रस्ताव शासन द्वारा निर्धारित नार्मस् के अनुसार ही तैयार किए जाए। कृपया ध्यान देवें कि वाहन मरम्मत एवं पेट्रोल तेल आदि के बजट के लिये प्रत्येक वाहन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी दी जाये। वाहन से संबंधित जानकारी **परिशिष्ट–4** में देवें।

(ग) इमारती लकड़ी / बांस / खैर के राजकीय व्यापार योजना अंतर्गत मजदूरी मदों के प्रस्ताव तैयार करते समय करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यो के कार्यवार भौतिक लक्ष्य, निर्धारित दर एवं कुल आवश्यक राशि का आंकलन पृथक गणना शीट में भी किया जाये, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी उक्त संकलन शीट तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजें।

(घ) इमारती लकड़ी, जलाऊ व बांस के विदोहन के लिए वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित मात्राओं एवं इनसे संबंधित मदों में व्यय के विकलन हेतु कुल मदवार राशि मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन किया जावे।

(ड) वनमार्ग मरम्मत में पहाड़ी एवं मैदानी वन मार्ग की लंबाई एवं इसके लिये वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर का विवरण देते हुये निर्धारित **गणना पत्रक–3** में सम्मिलित किया जावे।

(च) भवन मरम्मत में कार्यालय, अधिकारियों के आवासीय भवन, कर्मचारियों के आवास तथा अन्य भवनों की संख्या दर्शाते हुये लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित दर से भवनवार प्रस्ताव निर्धारित **संलग्न प्रपत्र–2** में तैयार किये जाये। वास्तविक वर्गमीटर उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में आंकलन प्रति भवन औसत वर्ग मीटर के आधार पर भी गणना की जा सकती है। औसत आवश्यकता के आधार पर मांग का आंकलन किया जायें और इसे भी उपरोक्त गणना पत्रक में दर्शाया जाये।

(छ) जिला योजना से संबंधित योजनाओं में योजना आयोग व्दारा स्वीकृत राशि के अनुसार ही प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे।

(ज) बजट प्रस्ताव संलग्न समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि को **वित्त / बजट शाखा** में प्रेषित किया जाना आवश्यक है तथा एक प्रति संबंधित योजना प्रबंधकों के कार्यालय में भी प्रस्तुत किया जाये।

6. **आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान दिये जाने के विशेष बिन्दु :–**

(क) प्रस्ताव में वेतन, पदनाम, वाहन, दूरभाष से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप प्रेषित की जावें। जिस योजना शीर्ष से जितने अधिकारी / कर्मचारियों को वेतन आहरित किया जाता है उनकी पृथक–पृथक जानकारी उसी योजना शीर्ष में दर्शाई जाये। यह जानकारी उच्च पद से निम्न पदों के घटते क्रम में भरी जाये। पदों की जानकारी नवीन संरचना के स्वीकृत पदों का नामीनल रोल के गोशवारे में अंकित स्वीकृत / कार्यरत् पदों की संख्या में एकरूपता होना अत्यंत आवश्यक है।

अग्रिम बजट तैयार करते समय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा त्रुटियों का विशेष ध्यान दिया जाये अन्यथा जो पद नहीं दर्शाये जायेगें उन पदों का वेतन भुगतान रोका जा सकता है।

(ख) वेतन भत्तों के परीक्षण के संबंध में नामिनल रोल अनिवार्य है। अतः इन्हें अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना आवश्यक है। बिना इसके बजट प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा। नामिनल रोल का गोशवारा पत्र के अंत में दिये जा रहे **संलग्न नियत प्रपत्र–1** में तैयार कर प्रेषित किया जावें, साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 का नामिनल रोल एवं 2020–21 का नामिनल रोल तैयार कर प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से ले आयें।

(ग) अन्य प्रभार एवं अन्य भत्ते मद में कौन–कौन से व्यय/भत्ते शामिल हैं इसका स्पष्ट विवरण दिया जावे।

(घ) स्थाईकर्मी कर्मचारियों को देय मजदूरी मद में प्रत्येक योजना के अंतर्गत कार्यरत स्थाईकर्मी कर्मचारियों की संख्या एवं उन्हें देय राशि हेतु गणना पत्रक पृथक–पृथक योजनावार संलग्न करें तथा म.प्र. शासन मंत्रालय द्वारा सेवा शर्तें नियम के अनुसार ही तैयार किया जाये। इसके अतिरिक्त जॉबदर पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या एवं देय राशि हेतु भी संबंधित योजना का गणना पत्रक संलग्न करें। स्थाईकर्मी की जानकारी **परिशिष्ट–5** में एवं कंम्पयूटर ऑपरेटरों की जानकारी **परिशिष्ट–6** में देवें।

(ड) यदि विगत वर्ष के कुल व्यय एवं चालू वर्ष के प्रस्तावित अनुमानों एवं अगले वर्ष के बजट अनुमानों की प्रस्तावित राशियों में अत्याधिक अंतर है तो उसका औचित्यपूर्ण समाधान अवश्य संलग्न करें। यदि विगत वर्ष के 8 माह और चालू वर्ष के 4 माह के कुल योग की तुलना में चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों तथा अगले वर्ष के बजट अनुमानों में अत्याधिक अंतर है तो उसका भी औचित्यपूर्ण समाधान अवश्य संलग्न करें।

(च) यदि विगत वर्ष में व्यय शून्य हो और चालू वर्ष के 4 माह का व्यय भी शून्य हो परन्तु चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों तथा अगले वर्ष के बजट अनुमानों में राशियां प्रस्तावित की गई हो तो उनका मदवार कारण व औचित्य स्पष्ट करें।

(छ) पिछले वर्ष आवंटन के अभाव में अथवा अन्य कारणों से व्यय न हो सकने के कारण यदि विगत वर्ष के लंबित भुगतानों (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/यात्रा भत्ता/टेलीफोन/बिजली (कार्यालय व्यय)/कर रॉयल्टी/12–मजदूरी आदि) के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त मांग चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में की गई हो तो उसका स्पष्ट विवरण संलग्न करें।

(ज) कार्यालय फर्नीचर के संबंध में चालु वित्तीय वर्ष में यदि आपके द्वारा राशि की मांग की जा रही है तो यह सुनिश्चित करें कि पुराने फर्नीचर का अपलेखन कर दिया गया है तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियम अनुसार सामग्री का पूर्ण विवरण एवं वास्तविक दर वेट टैक्स आदि सहित प्रपत्र में दर्शाये।

7. प्रस्ताव में विभागीय लेखा वर्ष 2018–19 में माह मार्च–19 तक हुये व्यय की वास्तविक राशि दर्शायी जाना है। उसे पूर्णांक में न दर्शाये। इसी तरह चालू वर्ष के प्रथम चार माह एवं गत वर्ष के अंतिम आठ माह के कॉलम में भी वास्तविक व्यय की राशि दर्शायी जाये। उदाहरणार्थ किसी मद में व्यय 12900 है तो उसे 13000 न दर्शाया जावे। गत वर्ष के व्यय की पुष्टि एवं चालू वर्ष के प्रथम चार माह के व्यय की पुष्टि हेतु मासिक लेखे के फार्म 7–ब भी संलग्न किया जाये, जिसमें कोषालयीन मदों के भुगतान का व्यय भी शामिल हो, अर्थात् जुलाई–18, मार्च–19 एवं जुलाई–19 के फार्म 7–ब की छायाप्रति अनिवार्य रूप से **संलग्न** की जाये।

8. योजना शीर्ष 0812 में वनग्राम कोटवारों को देय मानदेय भुगतान हेतु योजना शीर्ष 0812–31–004 मद में की जाये न कि 008–अन्य आकस्मिक व्यय में

9. आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर के उपयोग करने की प्रक्रिया की जानकारी एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश, वित्त विभाग से प्राप्त होने पर पृथक से सूचित किया जायेगा।

10. उत्पादन शाखा से संबंधित योजनाओं की जानकारी पृथक से तैयार कर उत्पादन शाखा में प्रेषित की जावेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

21-11-19

संचालक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

E:\MEGHA\Budget\Budget 2019-20\Budget RE BE\RE_BE_Budget_2019-20.doc

क्रमांक / एफ–आर.ई.–बी.ई. / 2019 / 5716 भोपाल, दिनांक 29/11/19

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी / कार्य आयोजना / उत्पादन / अनुसंधान विस्तार / संयुक्त वन प्रबंधन / सूचना प्रौद्योगिकी / वन भू–अभिलेख / संरक्षण / मानव संसाधन विकास म0प्र0 भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। जिन योजना शीर्ष के आप बजट प्रबंधक है उनमें यदि किसी स्थल पर विशेष प्रावधान करवाया जाना है तो संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मिशन संचालक, राज्य बांस मिशन / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ईको पर्यटन विकास बोर्ड / सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आपके कार्यालय से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विकास को प्रस्तुत किये जावे। आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विकास व्दारा आपके प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुये बजट प्रस्तुत करेगे।
3. संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर कृपया अनुदान संबंधी प्रस्ताव शीघ्र भेजे।
4. मुख्यालय भोपाल के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कृपया प्रस्ताव उपरोक्तानुसार तैयार कर संलग्न समय सारणी के अनुसार इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
5. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी क्षेत्रीय, उत्पादन, अनुसंधान विस्तार, कार्य आयोजना।
6. समस्त संचालक वन विद्यालय, प्राचार्य रेंज कालज, क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान।
7. संचालक (वित्त / बजट) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्रीमती सोफिया पाल, लेखा अधिकारी (वित्त / बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. श्री डी.के. साहू, लेखा अधीक्षक (वित्त / बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया समय सारणी अनुसार आहरण संवितरण अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव को चेक करें एवं उसी दिन संकलित कर, संचालक (वित्त / बजट) को अवगत करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

29-11-19

संचालक (वित्त / बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

मुख्यालय में बजट प्रेषित करने हेतु समय–सारणी निम्नानुसार है :–

क्र.	वृत्त	बजट प्रस्तुत करने का दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1	बालाघाट वृत्त	01.12.2019	प्राचार्य रेंजर बालाघाट
			वनसंरक्षक कार्य आयोजना बालाघाट (मुख्यालय जबलपुर)
			वनमण्डल अधिकारी उत्तर बालाघाट (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट (उत्पा.)
			वनमण्डल अधिकारी उत्तर बालाघाट (उत्पा.)
2	छिंदवाड़ा वृत्त		वनमण्डल अधिकारी पूर्व छिंदवाड़ा (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दक्षिण छिंदवाड़ा (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा (उत्पा.)
			वन संरक्षक कार्य आयोजना छिंदवाड़ा
3	भोपाल वृत्त	02.12.2019	वनमण्डल अधिकारी भोपाल (सा.)
			वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार केन्द्र भोपाल
			वनमण्डल अधिकारी औबेदुल्लागंज (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी सीहोर (सा.)
			वन संरक्षक कार्य आयोजना भोपाल
			संचालक वन विहार रा.उ. भोपाल
			वनमण्डल अधिकारी राजगढ़ (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी विदिशा (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी रायसेन (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी रायसेन (उत्पा.)
4	सागर वृत्त		वनमण्डल अधिकारी उत्तर सागर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दमोह (सा.)
			वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार केन्द्र सागर
			वन संरक्षक कार्य आयोजना सागर
			वनमण्डल अधिकारी नौरादेंही सागर
5	छतरपुर वृत्त	03.12.2019	वनमण्डल अधिकारी छतरपुर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी उत्तर पन्ना (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दक्षिण पन्ना (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी टीकमगढ़ (सा.)
			वन संरक्षक कार्य आयोजना छतरपुर
			क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना
6	ग्वालियर वृत्त		वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार ग्वालियर
			वनमण्डल अधिकारी ग्वालियर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी श्योपुर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दतिया (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी मुरैना (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी भिण्ड (सा.)

क्र.	वृत्त	बजट प्रस्तुत करने का दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
			वन संरक्षक कार्य आयोजना ग्वालियर
			वनमण्डल अधिकारी कूनो वन्यप्राणी श्योपुर (सा.)
			वन संरक्षक सिंह परियोजना ग्वालियर
7	जबलपुर वृत्त	04.12.2019	वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार जबलपुर
			वन संरक्षक कार्य आयोजना जबलपुर
			वनमण्डल अधिकारी पूर्व मण्डला (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी जबलपुर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी कटनी (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी डिण्डौरी (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी डिण्डौरी (उत्पा.)
			उप संचालक बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला
			वनमण्डल अधिकारी पश्चिम मण्डला (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी मण्डला (उत्पा.)
			क्षेत्र संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला
			संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर
8	सिवनी वृत्त		वनमण्डल अधिकारी उत्तर सिवनी (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सिवनी (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी सिवनी (उत्पा.)
			उप संचालक कार्या. क्षेत्र संचालक पेंच रा.उ. सिवनी
			वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार केन्द्र सिवनी
			वनमण्डल अधिकारी नरसिंहपुर (सा.)
			वन संरक्षक कार्य आयोजना सिवनी
9	खण्डवा वृत्त	05.12.2019	वनमण्डल अधिकारी खण्डवा (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी बुरहानपुर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी खण्डवा (उत्पा.)
			वनमण्डल अधिकारी खरगौन (सा.)
			वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार खण्डवा
			वन संरक्षक कार्य आयोजना खण्डवा
			वनमण्डल अधिकारी बड़वाह (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी बड़वानी (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी सेंधवा (सा.)
10	शहडोल वृत्त		वनमण्डल अधिकारी उत्तर शहडोल (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी दक्षिण शहडोल (सा.)
			संचालक, वन विद्यालय, अमरकंटक
			वनमण्डल अधिकारी उमरिया (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी अनूपपुर (सा.)
			उप संचालक बाधंवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया
			वन संरक्षक कार्य आयोजना शहडोल

क्र.	वृत्त	बजट प्रस्तुत करने का दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
11	बैतूल वृत्त	05.12.2019	वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.)
			वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार बैतूल
			वनमण्डल अधिकारी बैतूल (उत्पा.)
			वनमण्डल अधिकारी उत्तर बैतूल (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी पश्चिम बैतूल (सा.)
			संचालक वन विद्यालय बैतूल
			वन संरक्षक कार्य आयोजना बैतूल
12	होशंगाबाद वृत्त	06.12.2019	वनमण्डल अधिकारी होशंगाबाद (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी हरदा (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी हरदा (उत्पा.)
			उपसंचालक, कार्या. क्षेत्रसंचालक सतपुड़ा रा.उ. होशंगाबाद
			वन संरक्षक कार्य आयोजना होशंगाबाद
13	इन्दौर वृत्त		वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार इन्दौर
			वनमण्डल अधिकारी इन्दौर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी धार (सा.)
			वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार झाबुआ
			वनमण्डल अधिकारी झाबुआ (सा.)
			वन संरक्षक कार्य आयोजना इन्दौर
			मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी इन्दौर
			वनमण्डल अधिकारी अलीराजपुर (सा.)
14	शिवपुरी वृत्त		वनमण्डल अधिकारी शिवपुरी (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी गुना (सा.)
			संचालक, वन विद्यालय शिवपुरी
			वन संरक्षक कार्य आयोजना शिवपुरी
			संचालक माधव रा.उ. शिवपुरी
			वनमण्डल अधिकारी अशोकनगर (सा.)
15	रीवा वृत्त	07.12.2019	वनमण्डल अधिकारी रीवा (सा.)
			वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार केन्द्र रीवा
			वनमण्डल अधिकारी सिंगरौली (सा.)
			वन संरक्षक कार्य आयोजना रीवा
			वनमण्डल अधिकारी सीधी (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी सतना (सा.)
			संचालक संजय रा.उ. सीधी
16	उज्जैन वृत्त		वनमण्डल अधिकारी उज्जैन (सा.)/सामाजिक वानिकी
			वनमण्डल अधिकारी नीमच (सा.)
			वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार केन्द्र रतलाम
			वनमण्डल अधिकारी शाजापुर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी देवास (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी देवास (उत्पा.)

क्र.	वृत्त	बजट प्रस्तुत करने का दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
			वनमण्डल अधिकारी मन्दसौर (सा.)
			वनमण्डल अधिकारी रतलाम (सा.)
			वन संरक्षक कार्य आयोजना उज्जैन
17	मुख्यालय	07.12.2019	उप व.सं. कार्या. अ.प्र.मु.व.सं. (विकास) मुख्यालय भोपाल
			उप व.सं. उत्पा. कार्या. अ.प्र.मु.व.सं. (उत्पा.) मुख्यालय भोपाल
			उप व.सं. (रोकड़) कार्या. प्र.मु.व.सं. मुख्यालय भोपाल
			संयुक्त संचालक कार्या. म.प्र. सामुदायिक वन प्रबंधन वानिकी परियोजना मुख्यालय भोपाल
			उप वन संरक्षक वन्यप्राणी कार्या. प्र.मु.व.सं. वन्यप्राणी भोपाल
			मूल्यांकन अधिकारी कार्या. अ.प्र.मु.व.सं. (अ.वि.) भोपाल

29-11-19

संचालक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

(परिशिष्ट–1)

स्वीकृत पदों हेतु										कार्यरत पदों हेतु							
क्र	पदनाम श्रेणीवार	पदों की संख्या	वेतन (माह जुलाई में देय आगामी वेतन वृद्धि को जोड़कर)	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता (वेतन+ ग्रेड पे पर देय महंगाई)	मकान किराया भत्ता	वाहन भत्ता	अन्य भत्ता	योग (4 से 8)	पदों की संख्या	वेतन (माह जुलाई में देय आगामी वेतन वृद्धि को जोड़कर)	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता (वेतन+ ग्रेड पे पर देय महंगाई)	मकान किराया भत्ता	वाहन भत्ता	अन्य भत्ता	योग (11 से 15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

रिक्त पदों हेतु							
पदों की संख्या	वेतन (माह जुलाई में देय आगामी वेतन वृद्धि को जोड़कर)	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता (वेतन+ ग्रेड पे पर देय महंगाई)	मकान किराया भत्ता	वाहन भत्ता	अन्य भत्ता	योग (4 से 8)
19	20	21	22	23	24	25	26

हस्ताक्षर

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं पद मुद्रा

(परिशिष्ट—2)

भवनों की जानकारी

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	कार्यालय भवन संख्या एवं वर्ग फीट/वर्ग मी.	आवासीय भवन संख्या एवं वर्ग फीट/वर्ग मी.	वन विश्राम गृह संख्या एवं वर्ग फीट/वर्ग मी.	निरीक्षक कुटीर संख्या एवं वर्ग फीट/वर्ग मी.	अन्य भवन संख्या एवं वर्ग फीट/वर्ग मी.	आवश्यक राशि रूपये में

हस्ताक्षर

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं पद मुद्रा

परिशिष्ट–3

सड़क वन मार्ग की जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त/वनमंडल का नाम	वर्ष 2019–20		दर		वर्ष 2020–21		दर	
			पहाड़ी कि.मी.	मैदानी कि.मी.	पहाड़ी	मैदानी	पहाड़ी कि.मी.	मैदानी कि.मी.	पहाड़ी	मैदानी

हस्ताक्षर

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं पद मुद्रा

(परिशिष्ट–4)

वर्ष के दौरान वाहन की गतिविधियों का विवरण

वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	वाहन का मॉडल	पंजीयन क्रमाक	पंजीयन का वर्ष	जिन्हें आवंटित है उनका नाम	वाहन द्वारा तय की गई दूरी (कि.मी. में)	पेट्रोल पर व्यय रूपये में	मरम्मत पर व्यय रूपये में

हस्ताक्षर

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं पद मुद्रा

(परिशिष्ट–5)

<u>निर्धारित प्रपत्र</u>

क्र.	कार्यालय/वनमंडल का नाम	स्थाईकर्मियों की संख्या	मूल वेतन	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता	ऐरियर	योग	जिस योजना शीर्ष से भुगतान किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं पद मुद्रा

(परिशिष्ट–6)

कंप्यूटर ऑपरेटरों की जानकारी

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	योजना का नाम	कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या	कुल आवश्यकता राशि लाख रू. में

हस्ताक्षर

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं पद मुद्रा